

नम्बर ब ता रोख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गोपाल लाल स्वर्णकार, आरएएस,

प्रकरण संख्या:- 8/2016 (गुण्डा एक्ट)

दायर दिनांक:- 03.11.2016

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

-----प्रार्थी

बनाम

श्री दिलीप कुमार पिता भगवत सिंह जाति मेहता निवासी ब्रह्मपुरी कॉलोनी, धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

-----अप्रार्थी/गैरसायल

:-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975:-

:-निर्णय:-

दिनांक:- 13 मई 2019

1-श्रीमान् कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेशांक/सरिश्ता/आदेश/2010/1571-1575 दिनांक 22.12.2010 से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को दिये जाने से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है । संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल व्यक्ति बदमाश प्रवृत्ति का होकर अवैध जुआं सट्टा खेलने का आदि है इसके विरुद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है । अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 02 प्रकरण पंजीबद्ध होकर, सक्षम न्यायालय से दोषी करार जुर्माने से दण्डित किया गया है ।

अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईत्तला रिपोर्ट थाना धरियावद में दर्ज होकर, प्रकरणवार नतीजा न्यायालय उसके सामने अंकित है:-

प्रकरण संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	तारीख दायर	अंतिम रिपोर्ट पुलिस	निर्णय न्यायालय
164/14	13 आर.पी.जी.ओ.	21.05.14	81/14	दिनांक 29.09.14 को दोषी करार एवं 100 रु जुर्माने से दण्डित
272/14	13 आर.पी.जी.ओ.	06.08.14	206/14	दिनांक 23.03.15 को दोषी करार एवं 100 रु जुर्माने से दण्डित

प्रार्थना पत्र ताईद में प्रथम सूचना रिपोर्ट्स, चार्ज शीट्स एवं सक्षम न्यायालय में निर्णय की सत्यापित प्रतियाँ पेशकर, अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की ।

2-मामला बाद पंजीबद्ध कर, अप्रार्थी / गैरसायल को नोटीस जारी किया गया । अप्रार्थी/ गैरसायल मय अधिवक्ता उपस्थित एवं जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के विरुद्ध जो प्रकरण दर्शाये गये हैं वह काफी पुराने हैं तथा उनका सक्षम न्यायालय से निस्तारण हो चुका है। गैरसायल द्वारा लेम्पस चेयरमेन, पूर्व उप प्रधान के हस्ताक्षरयुक्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिसमे गैरसायल का चरित्र सही बताया गया है।

3-हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया । जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी 'गुण्डा' कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो । जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 2 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है लेकिन प्रार्थना पत्र की पुष्टि में वक्त सूनवाई उनके द्वारा तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/सबुत पेश नहीं किये हैं ।

4-चूंकि अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध गत एक वर्ष से कोई भी प्रकरण थाना धरियावद में दर्ज नहीं हुआ है। साथ ही धरियावद के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र में गैरसायल का चरित्र सही बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरुद्ध चल रही प्रकरण की कार्यवाही ड्राप की जाती है। थानाधिकारी धरियावद को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय निर्णय के 3 माह तक की अवधि तक गैरसायल की गतिविधियों पर नजर रखे। यदि वह उक्त अवधि में कोई ऐसा कृत्य करता है तो प्रकरण पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के मार्फत इस न्यायालय को भिजावे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़/थानाधिकारी धरियावद को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)  
आर.ए.एस.  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
प्रतापगढ़ (राज.)

